रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 107] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 12, 1984/फाल्गुन 22, 1905
No. 107] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 12, 1984/PHALGUNA 22, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 1984

धन-कर

का०आ० 158(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 46 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, धन-कर नियम, 1957 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम धन-कर (संशोधन) नियम, 1984 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 1984 से प्रवृत्त होंगे।

2. धन-कर नियम, 1957 में,—

(i) प्ररूप क में, उपाबन्ध 2 में, खंड (iv) के पहले टिप्पण में "निर्धारण वर्ष 1983-84" शब्दों और अंकों के पश्चात "या कोई पश्चातवर्ती निर्धारण वर्ष" शब्द अन्तःस्थापित किए जायेंगे, अर्थात

(ii) प्ररूप (ख) के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :—

"प्ररूप ख (ध०क० धा 1क) धन-कर अधिनियम, 1957 नियम, 3(1)(ख)	धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (i) या उपधारा (2) के अधीन शुद्ध धन की विवरणी का प्ररूप (केवल कंपनी के लिए)
निर्धारण वर्ष	धन-कर कार्यालय में उपयोग के लिए

मूल्यांकन की तारीख

स्थायी लेखा संख्यांक

स्पष्ट अक्षरों में नाम ....

पता .... टेलीफोन ....

स्थान, जहां पर कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है ....

क्या कंपनी भारत में स्थित या भारत में स्थित नहीं है ....

मूल्यांकन की तारीख को वित्त अधिनियम, 1983 (1983 का 11) की धारा 40 की उपधारा (2) और (3) में निर्दिष्ट आस्तियों और ऋणों का विवरण

भाग I

भारत में स्थित आस्तियों का शुद्ध मूल्य

विशिष्टियां	मूल्य रु०
(1)	(2)
खंड क—स्थावर सम्पत्ति-उपाबंध-I के अनुसार	....
खंड ख—जंगम संपत्ति—उपाबंध II के अनुसार	....
खंड ग—भारत में धन खंड क और ख का योग	....

*यदि कंपनी ऐसी कंपनी है जिसमें जनता पर्याप्त रूप से हितबद्ध है तो इसे नहीं भरा जाएगा।

भाग II

भारत के बाहर स्थित आस्तियों का शुद्ध मूल्य

विशिष्टियां	मूल्य रु०
(1)	(2)
खंड घ—स्थावर सम्पत्ति उपाबन्ध III के अनुसार	....
खंड ङ—जंगम सम्पत्ति—उपाबन्ध IV के अनुसार	....
खंड च—भारत के बाहर धन खंड घ और ङ का योग	....

भाग III

शुद्ध धन की संगणना

विशिष्टियां	मूल्य रु०
(1)	(2)
खंड छ—शुद्ध धन :	
1. भारत में धन जिस पर कर देय है—भाग 1 के खंड ग के अनुसार	....
2. भारत के बाहर धन जिस पर कर देय है भाग 2 के खंड च के अनुसार	....
	....
3. शुद्ध धन-मद (1) और (2) का एक सौ रुपये निकटतम गुणज तक पूर्णांकित का योग—धारा 44ग	

भाग IV

आस्तियां जो शुद्ध धन में सम्मिलित नहीं है और जिन पर छूट के लिए दावा किया गया है।

(टिप्पण :—इस भाग का भरा जाना वैकल्पिक है। इस भाग में ऐसी किसी आस्ति को भी दिखाया जा सकता है जिसे भाग I और II में या उनमें निर्दिष्ट उपाबन्ध में सम्मिलित नहीं किया गया है, किन्तु जिसके लिए किसी कारण से कंपनी ने कराधेय न होने का दावा किया है)

क्रमसं०	आस्तियों का वर्णन	छूट का दावा करने का कारण

भाग V

स्वयं निर्धारण पर संदत्त कर का विवरण

(टिप्पण देखिए)

संदाय की तारीख	रकम रु०

टिप्पण: यदि इस विवरणी के आधार पर कोई कर संदेय है तो, कर की उस रकम को, यदि कोई हो, जो धन कर अधिनियम, 1957 के किसी उपबंध के अधीन दी जा चुकी है, हिसाब में लेने के पश्चात ऐसे कर का संदाय इस विवरणी के दिए जाने के पूर्व किया जाएगा और ऐसे संदाय का सबूत इस विवरणी के साथ भेजा जाना चाहिए—धारा 15ख

सत्यापन

मैं,......................... जो श्री........... का
(स्पष्ट अक्षरों में नाम)
पुत्र/पुत्री/पत्नी हूं.....................के रूप में..........
(पदाभिधान)
..............कार्य कर रहा हूं, सत्यनिष्ठा से घोषित करता/* करती हूं (कंपनी का नाम)
कि इस विवरणी और इसके साथ के उपाबन्धों और कथनों में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूरी है तथा शुद्ध धन की अन्य विशिष्टियां जो दिखाई गई हैं, सही बताई गई हैं और वे 1 अप्रैल, 19 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष की सुसंगत मूल्यांकन तारीख के संबंध में है।

मैं सत्यनिष्ठा से यह भी घोषित करता हूं कि कंपनी के नाम में कोई अन्य आस्ति नहीं है जिसे उक्त मूल्यांकन तारीख को शुद्ध धन की संगणना करने में ध्यान में रखा जाना अपेक्षित है।

मैं यह भी घोषित करता हूं कि यह विवरणी में..................में.....................की हैसियत से दे
(कंपनी का नाम) (पदाभिधान)
रहा हूं, और मैं यह विवरणी देने और उसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूं।

तारीख.............. ....

स्थान.............. हस्ताक्षर

महत्वपूर्ण: सत्यापन पर हस्ताक्षर करने के पूर्व, हस्ताक्षरकर्ता को अपना यह समाधान कर लेना चाहिए कि यह विवरणी सभी प्रकार से सही और पूर्ण है। जो व्यक्ति इस विवरणी में मिथ्या कथन करेगा, वह धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 35 घ के अधीन अभियोजन के लिए दोषी होगा और दोषसिद्ध किए जाने पर वह,—

(i) ऐसे मामले में, जिसमें वह कर जिसके अपवंचन का प्रयास किया गया है, एक लाख रुपए से अधिक है, कठोर कारावास से, जिसकी अवधि, छह मास से कम नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से,

(2) अन्य किसी मामले में, कठोर कारावास से जिसकी अवधि तीन मास से कम नहीं होगी, किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से,

दण्डनीय होगा।

* जो लागू न हो उसे काट दीजिए।

उपाबन्ध 1

(इस विवरणी के भाग 1 का खंड क देखिए)

वित्त अधिनियम, 1983 (1983 का 11) की धारा 40 की उपधारा (2) और उपधारा (3) के खंड (v), (vi) और (viii) में निर्दिष्ट भारत में स्थित स्थावर आस्तियां और ऋण)

(टिप्पण देखिए)

क्रम सं०	वर्णन और स्थिति	संपत्ति की पहचान सं०	भू-राजस्व/नगरपालिका कर	मूल्यांकन तारीख का मूल्य (रु०)	संपत्ति की बाबत प्रतिभूत या उपगत ऋण	शुद्ध मूल्य (स्तम्भ 6 में से स्तम्भ 5 घटाकर)
1	2	3	4	5	6	7

इस विवरणी के भाग 1 के खंड क में स्तम्भ 7 का योग

टिप्पण 1 : स्थावर संपत्ति की प्रत्येक मद पृथकतः सूचीबद्ध की जानी चाहिए। संपत्ति का वर्णन और स्थिति इस प्रकार होनी चाहिए जिससे कि संपत्ति और इसकी सीमाओं को स्पष्ट रूप से पहचाना जा सके।

टिप्पण 2 : संपत्ति के संबंध में भू-राजस्व/नगरपालिका कर और मूल्य तथा उस संपत्ति की बाबत प्रतिभूत या उपगत ऋण, स्थावर संपत्ति की प्रत्येक मद की बाबत पृथकतः वर्णित किया जाना चाहिए। यदि निर्धारिती की किसी आस्ति पर प्रतिभूत कोई ऋण किसी अन्य व्यक्ति के फायदे के लिए उपगत किया जाता है या प्रवृत्त होता है, या उसका निर्धारिती की किसी आस्ति द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं होता है तो ऐसे ऋण के मूल्य को संपत्ति के शुद्ध मूल्य की संगणना करते समय हिसाब में नहीं किया जाना चाहिए।

उपाबन्ध 2

(इस विवरणी के भाग 1 का खंड ख देखिए)

वित्त अधिनियम, 1983 (1983 का 11) की धारा 40 की उपधारा (2) और उपधारा (3) के खंड (i) से (iv), (vi) और (viii) में यथा निर्दिष्ट भारत में स्थित जंगम आस्तियों और ऋणों का विवरण।

(टिप्पण देखिए)

क्रम सं०	आस्तियों का वर्णन	मूल्यांकन की तारीख को मूल्य (रु०)	आस्तियों पर या उनके संबंध में प्रतिभूत या उपगत ऋण	शुद्ध मूल्य (रु०) (स्तम्भ 3 में से स्तम्भ 4 घटाकर)
1	2	3	4	5

इस विवरणी के भाग 1 के खंड ख में ले जाया गया स्तम्भ 5 का योग

रु०

टिप्पण 1 : प्रत्येक जंगम आस्ति पृथक रूप से सूचीबद्ध की जानी चाहिए।

टिप्पण 2 : आस्ति का मूल्य और उस आस्ति पर प्रतिभूत या उसके संबंध में उपगत ऋण प्रत्येक जंगम आस्ति की बाबत पृथक रूप से वर्णित किया जाना चाहिए। यदि निर्धारिती की किसी आस्ति पर प्रतिभूत कोई ऋण किसी अन्य व्यक्ति के फायदे के लिए उपगत किया जाता है या प्रवृत्त होता है या उसका निर्धारिती की किसी आस्ति द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं होता है तो, ऐसे ऋण के मूल्य को आस्ति के मूल्य की संगणना करते समय हिसाब में नहीं लिया जाना चाहिए।

उपाबन्ध 3

(इस विवरणी के भाग 2 का खंड 'घ' देखिए)

वित्त अधिनियम, 1983 (1983 का 11) की धारा 40 की उपधारा (2) और उपधारा (3) के खंड (v) (vi) और (viii) में यथा निर्दिष्ट भारत से बाहर स्थित स्थावर आस्तियों और ऋणों का विवरण

(टिप्पण देखिए) *

क्रम सं०	वर्णन और स्थिति	संपत्ति की पहचान रु०	भू-राजस्व/नगरपालिका कर	मूल्यांकन की तारीख को मूल्य (रु०)	संपत्ति पर या उसके संबंध में प्रतिभूत या उपगत ऋण	शुद्ध मूल्य (रु०) (स्तम्भ 5 में से घटाकर स्तम्भ 6)
1	2	3	4	5	6	7

इस विवरणी के भाग 2 के खंड घ में ले जाया गया स्तम्भ 7 का योग:

रु० ______

*कृपया उपाबन्ध के नीचे की टिप्पणी देखिए

उपाबन्ध 4

(इस विवरणी के भाग 2 का खंड ङ देखिए)

वित्त अधिनियम, 1983 (1983 का 11) की धारा 40 की उपधारा (2) और उप-धारा (3) के खंड (i) से (iv), (vii), और (viii) में यथा निर्दिष्ट, भारत से बाहर स्थित जंगम आस्तियों और ऋणों का विवरण

(टिप्पण देखिए)

क्रम सं०	आस्तियों का वर्णन	मूल्यांकन की तारीख को मूल्य (रु०)	आस्तियों पर या उसके संबंध में प्रतिभूत या उपगत ऋण	शुद्ध मूल्य (रु०) (स्तम्भ 3 में से स्तम्भ 4 घटाकर)
1	2	3	4	5

इस विवरणी के भाग 2 के खंड ङ में ले जाया गया स्तम्भ 5 का योग

रु० ______

उपाबन्ध 2 के नीचे के टिप्पण देखिए"

[सं० 5713/फा०सं० 142(42)/83-टी०पी०एल०]

बी० मिश्र, सचिव, केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना सं० का०आ०नि० 3384 तारीख 18-10-1957 के अधीन प्रकाशित किए गए और पश्चात्‌वर्ती संशोधन निम्नलिखित द्वारा किए गए :

का०आ० सं० 271 तारीख 27-1-1961, 798 तारीख 30-4-1963, 1473, तारीख 28-9-1964, 2064 तारीख 4-6-1968, 2432 तारीख 2-7-1968, 1026 तारीख 10-3-1970, 2881 तारीख 1-9-1970, 2882 तारीख 1-9-1970, 909 तारीख 26-2-1971, 165 तारीख 25-2-1972, 437 तारीख 21-6-1972, 707 तारीख 15-11-1972, 154 तारीख 17-3-1973, 187 तारीख 31-3-1973, 327 तारीख 4-6-1973, 21 तारीख 4-1-1974, 599 तारीख 8-10-1974, 726 तारीख 19-12-1974, 739 तारीख 30-12-1974, 559 तारीख 30-9-1975, 147 तारीख 1-3-1976, 267 तारीख 31-3-1976, 702 तारीख 3-11-1976, 732 तारीख 15-11-1976, 16 तारीख 12-1-1977, 166 तारीख 15-2-1977, 721 तारीख 14-10-1977, 434 तारीख 7-7-78, 554 तारीख 11-9-1978, 169 तारीख 30-3-1979, 610 तारीख 29-10-1979, 41 तारीख 19-1-1980, 75 तारीख 28-1-1980, 119 तारीख 20-2-1981, 397 तारीख 30-5-1981, 493 तारीख 19-6-1981; 130(अ) तारीख 22-2-1983 और 273(अ) तारीख 31-3-1983.

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 1984.

WEALTH-TAX

S.O. 158(E) :—In exercise of the powers conferred by section 46 of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Wealth-tax Rules, 1957, namely:—

1. (1) These rules may be called the Wealth-tax (Amendment) Rules, 1984.

(2) They shall come into force on the 1st day of April 1984.

2. In the Wealth-tax Rules, 1957,—

(i) in Form A, in Annexure II, in the first Note, in clause (iv), after the words and figures "the assessment year 1983-84", the words "for any subsequent assessment year" shall be inserted;

(ii) for Form B, the following Form shall be substituted, namely:—

"Form B (W.T.S. 1A)

Wealth-tax Act, 1957 Rule 3(1)(b)

FORM OF RETURN OF NET WEALTH UNDER SUB-SECTION (1) OR SUB-SECTION (2) OF SECTION 14 OF THE WEALTH-TAX ACT, 1957

(For Companies* only)

Assessment year : For use in W.T. office.

Valuation date :

Permanent Account Number :

Name in (Block Letters)——————————

Address——————————

Telephone——————————

Place at which the registered office of the company is situated——————————

Whether the company is resident in India or non-resident in India——————————

STATEMENT OF ASSETS AND DEBTS REFERRED TO IN SUB-SECTIONS (2) AND (3) OF SECTION 40 OF THE FINANCE ACT, 1983 (11 of 1983), AS ON THE VALUATION DATE

PART I

Net value of assets located in India

Particulars	Value Rs.
(1)	(2)
SECTION A — IMMOVABLE PROPERTY— As per Annexure I	————
SECTION B — MOVABLE PROPERTY — As per Annexure II	————
SECTION C — WEALTH IN INDIA — Total of Sections A & B	————

*Not to be filled in if the company is a company in which the public are substantially interested.

PART II

Net value of assets located outside India

Particulars	Value Rs.
(1)	(2)
SECTION D — IMMOVABLE PROPERTY —As per Annexure III	————
SECTION E — MOVABLE PROPERTY —As per Annexure IV	————
SECTION F — WEALTH OUTSIDE INDIA —Total of Sections D & E	————

PART III

COMPUTATION OF NET WEALTH

Particulars	Value Rs.
(1)	(2)
SECTION G —NET WEALTH :	
1. Wealth in India on which tax is payable—As per Section C of Part I	————
2. Wealth outside India on which tax is payable—As per Section F of Part II	————
Total	————
3. NET WEALTH: Total of items (1) and (2) as rounded off to the nearest multiple of one hundred rupees—section 44C.	————

PART IV

Assets not included in net wealth and claimed to be exempt.

[Note :—The filling up of this Part is optional. In this Part may be shown any assets which are not included in Parts I and II or the Annexures referred to therein, but which the company claims to be not taxable for any reason.]

S. No.	Description of the asset	Reason why exemption is claimed

PART V

Statement of tax paid on self-assessment
(See Note)

Date of Payment	Amount Rs.
(1)	(2)

Note :—If any tax is payable on the basis of this return, after taking into account the amount of tax, if any, already paid under any provision of the Wealth-tax Act, 1957, such tax must be paid before furnishing this return and the return should be accompanied by proof of such payment—section 15B.

VERIFICATION

I,..................................* son/daughter/wife
(Name in block letters)
of Shri........................being the..............
..........................of.......................
(Designation) (Name of the company)
solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in this return, and the Annexures and Statements accompanying it, is correct and complete, and that the amount of net wealth and other particulars shown are truly stated and relate to the valuation date relevant to the assessment year commencing on the 1st day of April, 19..,

I further solemnly declare that the said company had no other asset belonging to it which is required to be taken into consideration in computing its net wealth on the said valuation date.

I further delcare that I am making this return in my capacity as......................of ....
(Designation) (Name of the company)
and that I am competent to make this return and verify it on behalf of the company.

Date : ....

Signature ....

Place................

IMPORTANT : Before signing the verification, the signatory should satisfy himself that this return is correct and complete in every respect. Any person making a false statement in this return shall be liable to prosecution under section 35D of the Wealth-tax Act, 1957, and on conviction be punishable,—

(i) in a case where the tax sought to be evaded exceeds one lakh rupees, with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to seven years and with fine;

(ii) in any other case, with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than three months but which may extend to three years and with fine.

*Strike out whichever is not applicable.

ANNEXURE I

(See Section A of Part I of this return)

Statement of immovable assets and debts located in India as referred to in sub-section (2) and clauses (v), (vi) and (viii) of sub-section (3) of section 40 of the Finance Act, 1983 (11 of 1983)

(See Notes)

Sl. No.	Description and situation	Identification No. of property	Land Revenue/ municipal-tax	Value on valuation date (Rs.)	Debt secured on, or incurred in relation to, the property	Net value (Rs.) (Column 5 minus Column 6)
1	2	3	4	5	6	7

Total of Column 7 taken to Section A of Part I of this return Rs........................

NOTE 1 : Each item of immovable property should be listed separately. The description and situation of property should be such as to enable the property and its boundaries to be clearly identified.

NOTE 2 : Land revenue/municipal tax and value in respect of property and debt secured on or incurred in relation to that property should be shown separately in respect of each item of immovable property. If a debt secured on any asset belonging to the assessee is incurred for, or enures to, the benefit of any other person, or is not represented by any asset belonging to the assessee, the value of such debt should not be taken into account in computing the net value of the property.

ANNEXURE II

(See Section B of Part I of this return)

Statement of movable assets and debts located in India as referred to in sub-section (2) and clauses (i) to (iv), (vii) and (viii) of sub-section (3) of section 40 of the Finance Act, 1983 (11 of 1983)

(See Notes)

Sl. No.	Description of assets	Value of valuation date (Rs.)	Debt, secured on, or incurred in relation to, the asset	Net value (Rs.) (Column 3 minus column 4)
1	2	3	4	5

Total of column 5 taken to Section B of Part I of this return.

Rs. :

NOTE 1 :— Each movable asset should be listed separately.

NOTE 2 :— Value of an asset and debt secured on or incurred in relation to that asset, should be shown separately in respect of each movable asset. If a debt secured on any asset belonging to the assessee is incurred for, or enures to, the benefit of any other person, or is not represented by any asset belonging to the assessee, the value of such debt should not be taken into account in computing the net value of the asset.

ANNEXURE III

(See Section D of Part II of this return)

Statement of immovable assets and debts located outside India as referred to in sub-section (2) and clauses (v), (vi) & (viii) of sub-section (3) of section 40 of the Finance Act, 1983 (11 of 1983)

(See Notes)*

S. No.	Description and situation	Identification No. of property	Land revenue/ municipal-tax	Value on valuation date (Rs.)	Debt secured on, or incurred in relation to, the property	Net value (Rs.) (Column 5 minus column 6)
1	2	3	4	5	6	7

Total of column 7 taken to Section D of Part II of this return.

Rs. :

*Please see Notes below Annexure-I.

ANNEXURE IV

(See Section E of Part II of this return)

Statement of movable assets and debts located outside India as referred to in sub-section (2) and clauses (i) to (iv), (vii) and (viii) of sub-section (3) of section 40 of the Finance Act, 1983 (11 of 1983)

(See Notes)*

S. No.	Description of assets	Value on valuation date (Rs.)	Debts secured on or incurred in relation to, the asset	Net value (Rs.) (Column 3 minus column 4)
1	2	3	4	5

Total of column 5 taken to Section E of Part II of this return.

Rs. :

*Please see Notes below Annexure-II"

[No. 5713(F. No. 142(42)/83-TPL)]

B. MISHRA, Secretary
Central Board of Direct Taxes.

Note—Principal rules were published under Notification No. S.R.O. 3384 dated 18-10-1957 and subsequently amended by S.O. No. 271 dated 27-1-1961, 798 dated 30-4-1963, 1473 dated 28-9-1964, 2064 dated 4-6-1968, 2432 dated 2-7-1968, 1026 dated 10-3-1970, 2881 dated 1-9-1970, 2882 dated 1-19-1970, 999 dated 26-2-1971, 165 dated 25-2-1972, 437 dated 21-6-1972, 707 dated 15-11-1972, 154 dated 17-3-1973, 187 dated 31-3-1973, 327 dated 4-6-1973, 21 dated 4-1-1974, 599 dated 8-10-1974, 726 dated 19-12-1974, 739 dated 30-12-1974, 559 dated 30-9-1975, 147 dated 1-3-1976, 267 dated 31-3-1976, 702 dated 3-11-1976, 732 dated 15-11-1976, 16 dated 12-1-1977, 166 dated 15-2-1977, 721 dated 14-10-1977, 434 dated 7-7-1978, 554 dated 11-9-1978, 169 dated 30-3-1979, 610 dated 29-10-1979, 41 dated 19-1-1980, 75 dated 28-1-1980, 119 dated 20-2-1981, 397 dated 30-5-1981, 493 dated 19-6-1981, 130(E) dated 22-2-1983 and 273(E) dated 31-3-1983.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984